न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/75	01–10–2019	10–11–2020

1. कैलाश चन्द पुत्र भोरे लाल सैनी (मृतक)
   1/1. मु0 कौशल्या देवी बेवा कैलाश चन्द
   1/2. प्रदीप पुत्र कैलाश चन्द जिला अलवर।
   1/3. अनिल पुत्र कैलाश चन्द
   समस्त जाति सैनी निवासी प्रताप पल्टर रोड स्कीम नं0 1 अलवर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश
2. जयनारायण पिसरान भोरेलाल सैनी निवासी तहसील परिसर के पास अलवर तहसील व जिला अलवर।
3. भगवान सहाय पुत्र कैलाशचन्द निवासी हाउसिंह बोर्ड (विस्तार योजना) तुलेडा रोड अलवर तहसील व जिला अलवर।
4. सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी वृत्त अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी, अलवर के दिनांक 29–06–1994 बाबत इन्तकाल सं0 326 वाके ग्राम अलवर नं0 1 जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री उदय सिंह –वकील अपीलान्ट
02. श्री कृष्ण कुमार रायजादा –वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 23 सितम्बर 2013 में निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2003 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 9.5.2000 को निरस्त कर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिवत् निर्णय पारित करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट/रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील भू–प्रबन्धक अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 29–06–1994 जिसके जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 326 वाके ग्राम अलवर नं0 एक जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि रेस्पा0 संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी अलवर को पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1563 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1562 रकबा 3 बीघा

13 बिस्वा वाके ग्राम अलवर नं0 1 जो आराजी भौरे लाल पुत्र पहलवान के कब्जे काश्त की आराजी है। भौरे लाल का स्वर्गवास दिनांक 15.6.94 को हो गया और भौरे लाल ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 7.4.93 को एक वसीयतनामा जयनारायण, जगदीश, व भगवान पुत्र कैलाश के हम में तहरीर की है, ओर जिसमें 1/3, 1/3 हिस्से की बाबत खोला है। तहत अदालत ने बिना तथ्यों की जांच किये बिना ही दिनांक 29.6.94 को आराजी खसरा नम्बर 1562 मिन रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा का इन्तकाल रैस्पा0 नं0 1 लागायत 3 को बकदर समान भाग विवादित इंतकाल स्वीकार कर दिया गया। रैस्पा0 सं0 3 पहले से भौरे लाल मृतक की आराजी को हडप करने के लिऐं चला चल रहा था, दिनांक 14.1.94 को वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवा लिया। रैस्पा0 सं0 3 ने वसीयत मृतक भौरे लाल ने दिनांक 10.6.94 को आराजी खसरा नम्बर 1562 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा, 1563 रकबा 2 बीधा 15 बिस्वा कुल किता दो अलवर नम्बर 1 की बाबत दो–दो बीधा जमीन लगदीश व जयनारायण के ह कमे व दो बीधा 5 बिस्वा आराजी की वसीयत अपीलान्ट व अपीलान्ट के पुत्र प्रदीन,अनिल, सुनिल, के हक में लिखी इसलिऐं अपीलान्ट के हम में 2 बीधा 5 बिस्वा का इंतकाल बकदर दीगर पुत्र प्रदीप, अनिल, सुनिल, के हक में दर्ज करना चाहिऐं था। जबकि मृतक भौरे लाल की आराजी के जायज वारिस जयनारायण, जगदीश, के बाद कैलाश चंद का हक आराजी पर कानूनन बनता था। तहत अदालत के द्वारा कोई नोटिस व मौका की तस्दीक कराई और ना ही जांच की और बाला–बाला रैस्पा0 के कुल कार्यवाही कर दी गई। अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1562 जो इंतकाल दर्ज है जिस पर भाईयों के साथ–साथ अपीलान्ट व अपीलान्ट के बच्चों का चला आ रहा है। अपीलान्ट के लडको के हको को खत्म करके शेष आराजी का इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाया है, जबकि उसका किसी प्रकार से कोई हम वो अधिकार नही है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1562 रकबा 3 बीधा 13 बिस्वा की बाबत मुताबिक वसीयत अपीलान्ट दीगर पुत्रान प्रदीप, अनिल, सुनिल. का बकदर वसीयत के आराजी का इंतकाल तस्दीक फरमाया जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.10.94 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते अपने जबाव में निवेदन किया कि अपीलान्ट व रैस्पा0 नम्बर 3 पिता पुत्र है। अपीलान्ट की जानकारी में ही रैस्पा0 सं0 3 के हक में ही वसीयत हुई और वसीयत में गवाह है फैमली सेटिलमेन्ट में इंतकाल सं0 326 में दर्ज समस्त भूमि का वह भाग जो अपीलान्ट को मिलना था या मिल सकता था रैस्पा0 सं0 3 के हम अपीलान्ट तर्के भी कर चुका है। इंतकाल सं0 326 अपीलान्ट की जानकारी में चढा है अपीलान्ट ने रैस्पा0 सं0 3 पर बेजा तरीके पर दवाव डालने की गई है। विवादित इंतकाल की 14.10.94 को होना बताया है वह गलत इंतकला की जानकारी पूर्व से थी, और ना ही 27.10.94 से 6.11.94 तक बिमार भी नही रहा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 26–06–94 के विरूद्ध दिनांक 10.11.94 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 4 माह विलम्ब से पेश की गई है। चूँकि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, के निर्णय दिनांक 23.9.13 के अनुसरण में प्रतिप्रेषित होकर दिनांक 3.12.13 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर एवं विश्वास करते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, के निर्णय दिनांक 23.9.13 के अनुसरण में प्रतिप्रेषित होकर दिनांक 3.12.13 को प्राप्त होने पर एवं नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है विवादित इतकाल वसीयत के आधार पर तहत अदालत द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया है। तहत अदालत के निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है। परन्तु उपलब्ध दस्तावेज में पाया गया कि वसीयतनामा में आराजी खसरा नम्बर 1562 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा का अंकन है जबकि विवादित इंतकाल संख्या 326 के कॉलम संख्या 10 में आराजी खसरा नम्बर 1562 कॉलम संख्या 10 में क्षेत्रफल 3 बीधा 12 बिस्वा का अंकन किया हुआ है। विवादित इंतकाल में 2 बिस्वा का अन्तर है इस बिन्दू पर विस्तृत जांच करने एवं रिकार्ड का आवश्यक होने पर सही करने हेतु तहत अदालत में पक्षकारान चाराजोही कर सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 29–6–1994 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर